ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत किलोड़ में निम्नलिखित

प्रधान

क्रम. संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती मंजू वाला	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम. संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1.	श्री चमन लाल	01-04-2022 से 31-03-2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
01.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष	5.1	1.31
02.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का अवरोधन	6.1	54.51
03.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	₹17.34
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	₹0.31
05.	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर/बजरी के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान बारे।	8.3	₹1.80
06.	एप्पल फ्रूट प्लांट्स के क्रय में पाई गई विविध अनियमितातायें एवं अनुमोदित से अधिक दर से क्रय के कारण अधिक/अनुचित भुगतान	9.1	₹8.28
07.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.2	₹25.71
08	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे	9.3	₹45.08
09	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे	9.4	₹26.10

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-01-2025 से 03-02-2025 तक ग्राम पंचायत किलोड़ के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	04/2022	05/2022
2.	2023-2024	03/2024	11/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 03-02-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत किलोड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत किलोड़ के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	286769.00	63597.00	350366.00	30710.00	319656.00
2023-24	319656.00	218458.00	538114.00	286534.00	251580.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	5547365.00	8718490.11	14265855.11	10180910.11	4084945.0
2023-24	4084945.00	14907801.00	18992746.00	13541948.00	5450798.0

कुल योग (1+2) **₹251580.00 + ₹5450798.00 = ₹5702378.00**

(ब) ग्राम पचांयत किलोड़, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15TH FC	99331700016525	HPGB KIHAR	**2420955.00**
2.	RGSA	18910115064	HPSCB SALOONI	**0.00**
3.	Own Source, 5th SFC, SDP VKVNY,VMJS,MPLAD etc.	18910103737	HPSCB SALOONI	**3150528.92**
			CASH IN HAND	**0.00**
			TOTAL	**5571483.92**

अन्तर (अ-ब) ₹5702378.00 - ₹5571483.92 = ₹130894.08

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण तथा इससे सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण अंकेक्षण ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.31 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत किलोड़, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **15(10)(ख)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹130894.08 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹54.51 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹5450798 की राशि (रोकड़वही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम

अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.80 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत किलोड़ के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹80150 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	वकाया राशि
2022-23	66150	350	20	7000	73150	Nil	73150
2023-24	73150	350	20	7000	80150	Nil	80150

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 03-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1950/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-23	12	04@200	-	800	08@25	-	200	1000
2023-24	10	04@200	-	800	06@25	-	150	950
कुल योग	**22**	**08@200**	**-**	**1600**	**14@25**	**-**	**350**	**1950**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 03-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹1950 की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹17.34 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत किलोड़ के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹1734488 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री

पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयलटी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनिमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.31 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) एवं GST वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत किलोड़ के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलगन **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹1547409/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹30948/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर

पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹1.80 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Blouders) व Aggrigate की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की क्रमशः 12.5% व 5% की दर से कटौती किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत किलोड़ के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹1460259 के पत्थरों व बजरी का क्रय किया गया परन्तु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित Voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप राशि ₹180469 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में पत्थर/बजरी के बिलों में Voids की कटौती किये बिना ही भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल उक्त बिलों बल्कि समस्त बिलों में बिना Voids कटौती के भुगतान किया गया जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान भी किया गया। अत: उक्त अनियमिता को समर्थित अभिलेखों व ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अपेक्षित कटौती न करने के कारण हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 ग्राम पंचायत स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी

विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संल्गन परिशिष्ट "10" के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRC व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी सहायक के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उनें सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 एप्पल/फ्रूट प्लान्ट्स की अनुमोदित से अधिक दर पर क्रय के कारण राशि ₹8.28 लाख का अधिक भुगतान तथा क्रय में अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के बागवानी निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या HDP-NMS (Sale Rate-57)/2021 Vol-II दिनांक 22-11-2022 के द्वारा हि० प्र० नर्सरी पंजीकरण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पंजीकृत फ्रूट नर्सरियों को विंटर सीजन 2022-23 के लिये विभिन्न फ्रूट प्लांट्स की विक्रय दर अनुमोदित की गई थी।

ग्राम पंचायत किलोड़ के व्यय हेतु चयनित माह 11/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा फ्रूट प्लांट्स के क्रय में निम्न वर्णित वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताएं की गई जोकि न केवल उक्त सरकारी आदेशों की अवहेलना है अपितु आपूर्तिकर्ताओं को अधिक/अनुचित भुगतान भी किया गया प्रतीत होता है।

1. ग्राम पंचायत द्वारा क्रय एप्पल फ्रूट प्लांट्स हेतु उक्त सरकारी आदेशानुसार निर्धारित अधिकतम दर ₹150 प्रति प्लांट्स अनुमोदित की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को अनुमोदित से अधिक दर से भुगतान किया गया जिससे कि, संलग्न परिशिष्ट "09" के अनुसार राशि ₹828444 का अधिक भुगतान केवल चयनित माह में किया गया जोकि अनुचित व संदिग्ध है।

2. उक्त आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के अवलोकन में पाया गया कि, यह प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर मात्र कैश मैमों व परफॉर्मा बिल ही थे जिन पर दावा व भुगतान किया गया था। इन बिलों पर तिथि अंकित न होना, कटिंग/ओवरराइटिंग होना तथा अधिकतर बिलों पर फ्रूट प्लांट्स की किस्म, नाम व वैरायटी न दर्शाया जाने से उक्त नियमानुसार वर्णित किस्म व वैरायटी अनुसार निर्धारित दर भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। (Key Documents Raugh Sheets P-47-50)

3. ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह के दौरान क्रय तीन निजी नर्सरियों a.मै० सुमित्रा देवी b. मै० वर्मा ग्रीन वेली c. मै० राकेश कुमार नर्सरी से किया गया था जिनमें से केवल **c. मै० राकेश कुमार नर्सरी** ही उक्त अधिनियम के तहत जारी सूची में थी जबकि उक्त a व b दोनों नर्सरियां सरकार द्वारा जारी सूची में नहीं थी।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, ग्राम पंचायत द्वारा केवल एप्पल प्लांट्स ही क्रय किया गया है तथा इनसे सम्बन्धित अनियमितताओं की ग्राम पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है।

उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा समस्त फ्रूट प्लांट्स क्रय हेतु सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे कि न केवल आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित/अधिक भुगतान किया गया अपितु फ्रूट प्लांट्स कार्यों की माप पुस्तिका व अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत न करने से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त कार्यों का निष्पादन बागवानी विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना की गई है अथवा नहीं ? अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों व समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया

जाये अन्यथा अधिक भुगतान उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नियम 76 के तहत करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये तथा चयनित माह के अतिरिक्त शेष अवधि में हुए ऐसे लेन देनों की विभागीय स्तर पर जाँच उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.2 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹25.71 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(4) 67(3)(b) तथा 67(5)(a)(b) के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय हेतु विहित औपचारिकतायें यथा कुटेशन/टेंडर आमंत्रित करना, उप-समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹2570539/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमानुसार न होने के दृष्टिगत उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 31-01-2025 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 हेतु एक बार अखवार में निविदायें आमंत्रित की गई थी परन्तु किसी भी फर्म से कोई भी कुटेशन प्राप्त न होने के चलते ग्राम पंचायत द्वारा क्रय बिना कुटेशन/टेंडर के किया गया।

प्रस्तुत अभिलेखों व दिये गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल चयनित माहों बल्कि दोनों वर्षों में समस्त स्टोर/स्टॉक का क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि न केवल वित्तीय नियमों की अनदेखी है अपितु बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ न मिलने के कारण सरकारी धन का भी सम्भावित अपव्यय हुआ है। अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों व समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.3 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹45.07 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46(2) के अनुसार वाउचर का पूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य होना व नियम 47 तहत सभी दावे बिलों पर तथा नियम 48 के अनुसार सभी बिल रजिस्टर में प्रविष्टि उपरान्त अदायगी हेतु पारित किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत किलोड़ के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹4507940 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल कैश मैमों, परफोर्मा बिल व सादे कागज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 31-01-2025 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त बताया कि, जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं को कैश मैमों, परफोर्मा बिलों, सादे कागज पर रसीद सहित इत्यादि पर ही भुगतान किया गया है। मनरेगा के तहत जिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया वे स्थानीय ग्राम पंचायत के हैं तथा GST पंजीकृत नहीं हैं इने सादे कागज पर ही भुगतान किया गया। भविष्य में केवल GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किये जायेगा तथा टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं।

प्रस्तुत उत्तर व बिलों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतर भुगतान कैश मैमों, परफोर्मा बिलों व सादे कागज़ पर ही किये गये हैं। टैक्स बिलों व मनरेगा के तहत GST धारकों से क्रय न करने की कारण क्रय सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST इत्यादि की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए

उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹26.10 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणनुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹2610267 (29.66%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल व्यय (लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय(लाखोंमें)**	**मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता**	**सामान पर व्यय(लाखों में)**	**सामान पर व्ययप्रतिशतता**
1.	2022-23	64.94	29.81	45.91%	35.13	54.09%
2.	2023-24	108.86	48.36	44.43%	60.50	55.57%
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**+2610267**	**+29.66%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जायेगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹45.07 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "8")** राशि ₹4507940/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान क्रय स्टोर/स्टॉक को ऑनलाइन रजिस्टर में तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 31-01-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत किलोड़ के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 31-01-2025 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा

गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 27-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टरअभिलेख/	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	अपूर्ण
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉकसामाग्री / रजिस्टर	06 व 01	34	अपूर्ण

12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
13.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुच्छ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। उक्त अभिलेखों का संधारण न किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत किलोड़ की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 31-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। जिससे न केवल नियमों की अवहेलना की गई है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

07 MAR 2025

का0/धा
1462-1466

(कृष्ण लाल नेगी) 07.03.2025
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 174/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खण्ड सलूणी जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 07.03.2025
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/धा

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Kilod for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	286769.00	63597.00	350366.00	30710.00	319656.00
2023-24	319656.00	218458.00	538114.00	286534.00	251580.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	5547365.00	8718490.11	14265855.11	10180910.11	4084945.00
2023-24	4084945.00	14907801.00	18992746.00	13541948.00	5450798.00
					5702378.00

It is certified that GP Kilod has Seven cash books out of which 15th FC, VKVNY, VMJS, 5TH SFC, Own Source Online and MGREGA Online

1+2 (251580.00+5450798.00) Closing Balance as per Cash Books 5702378.00

Closing Balance as per Bank Passbook 5571483.92

Difference (Less in Bank Pass books) 130894.08

Checked

Manju Rab
Pradhan Secretary
Gram Panchayat Kilod
Dev. Block Salooni Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "2" पेरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Kilod for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	6494222.11	6494222.11	6494222.11	0.00
		2023-24	0.00	10974955.00	10974955.00	10974955.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	3465453.00	1088208.00	4553661.00	1947483.00	2606178.00
		2023-24	2606178.00	106557.00	2712735.00	249700.00	2463035.00
3	RGSA	2022-23	217742.00	8920.00	226662.00	213540.00	13122.00
		2023-24	13122.00	3572.00	16694.00	16694.00	0.00
4	VKVNY	2022-23	138500.00	225000.00	363500.00	215050.00	148450.00
		2023-24	148450.00	504885.00	653335.00	560427.00	92908.00
5	VMJS	2022-23	337550.00	550000.00	887550.00	351850.00	535700.00
		2023-24	535700.00	348002.00	883702.00	455736.00	427966.00
6	5th SFC	2022-23	1388120.00	352140.00	1740260.00	958765.00	781495.00
		2023-24	781495.00	2969830.00	3751325.00	1284436.00	2466889.00
			5547365.00	8718490.11	14265855.11	10180910.11	4084945.00
			4084945.00	14907801.00	18992746.00	13541948.00	5450798.00

checked

ManjuBala

Reffered in Audit Para 9.2

Annexure "3" Store/ stock purchase Without Completing Codal Formalities in GP Kilod Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.) r/o

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Carrige of Sand		
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Agg. & Cement	107500.00	Purchase without Quatations/tender
2	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone &		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	74700.00	Do
3	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone	72000.00	Do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	118520.00	Do
4	Sh.Hari Lal s/o Tej Ram	MGREGA	NIL/	Sand		Do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Carrige	41312.00	Do
5	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone &		Do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	326210.00	Do
6	Sh. Vyas Dev PO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone Collection		Do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Carrige	259500.00	Do
7	Sh. Subhash Vill. Baghota	MGREGA	NIL/	Sand & Tiles		Do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Carrige	70300.00	Do
8	Sh. Seskh Muhamand	MGREGA	NIL/	Sand & Cement		Do
	Village Tribhol PO Kilod		23-05-2022	Carrige	68875.00	Do
9	M/S Jitender Kumar & Brother	MGREGA	NIL/	Steel		Do
	PO Manjeer, Tehsil.Salooni		23-05-2022	8562.40 qtl @80	684992.00	Do
10	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	79500.00	Do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022			Do
11	Sh.Daya Ram Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	313190.00	Do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			Do
12	Sh. Gudo Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	250458.00	Do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			Do
13	Sh.Mukesh Village Jakhral	MGREGA	NIL/	Stone	28482.79	Do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			Do
14	Sh.Himto Ram VPO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	57000.00	Do
	Tehsil. Salooni, Chamba		07-11-2023			Do
15	Sh. Bhano Singh	MGREGA	NIL/	Stone	18000.00	Do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			
				TOTAL	2570539.79	

ManjuBala

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP KILOD TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	Sh.Hari Lal s/o Tej Ram	MGREGA	NIL/	Stone	58.00	129.92	174000.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022				
2	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand	20.39	32.62	87000.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Aggre.	11.12	21.57	27510.00
3	Sh. Vyas Dev PO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	90.00	201.60	259500.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Sand	36.22		60736.06
4	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand	16.89	27.02	89488.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Stone	166.50	372.96	252618.00
5	Sh. Sheskh Muhamand	MGREGA	NIL/	Sand	6.55	10.48	37005.00
	Village Tribhol PO Kilod		23-05-2022			0.00	
6	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	26.50	59.36	79500.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022			0.00	
5	Sh.Daya Ram Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	304.60	682.30	313190.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			0.00	
6	Sh. Gudo Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	187.64	420.31	250458.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			0.00	
7	Sh.Mukesh Village Jakhral	MGREGA	NIL/	Stone	33.61	75.29	28482.79
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			0.00	
8	Sh.Himto Ram VPO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	19.00	42.56	57000.00
	Tehsil. Salooni, Chamba		07-11-2023			0.00	
9	Sh. Bhano Singh	MGREGA	NIL/	Stone	6.00	13.44	18000.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023				
				TOTAL	983.02	2089.44	1734487.85

ManjuBala
Pradhan — Secretary
Gram Panchayat Kilod
Dev. Block Salooni Chamba (H.P.)

24

Annexure "5" Refferred in Para number 8.2
Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Kilod, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Bill No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	Nil/ 23-05-2022	33 TO 37/ NIL	MGNREGA	Sh. Yog Raj Village Kilod Tehsil Salooni Chamba	Sand, Agg., Interlock Tiles & Cement Carrige	107500.00	2150.00	IT Act 1961 Section 194 C
2	Nil/ 23-05-2022	44,45,47,48 & 49/NIL	MGNREGA	Sh. Subhash Vill. Banjli ,PO Kilod Tehsil Salooni	Sand, Agg., Tiles & Cement Carrige	118520.00	2370.40	do
3	Nil/ 23-05-2022	66,63 & 64 / NIL	MGNREGA	Sh.Hari Lal s/o Tej Ram Tehsil Salooni, Chamba	Sand & Stone Carrige Carrige	41312.00	826.24	do
4	Nil/ 23-05-2022	33 TO 37/ NIL	MGNREGA	Sh. Subhash Vill. Banjli ,PO Kilod Tehsil Salooni	Sand, Agg., Tiles & Cement Carrige	198210.00	3964.20	do
5	Nil/ 23-05-2023	31 & 32/ NIL	MGNREGA	Sh. Subhash Vill. Baghota , Tehsil Salooni, Chamba	Sand & Tiles Carrige	70300.00	1406.00	do
6	Nil/ 23-05-2023	21,22 & 31,32/ NIL	MGNREGA	Sh. Subhash Vill. Banjli ,PO Kilod Tehsil Salooni	Stone Carrige	149000.00	2980.00	do
7	Nil/ 23-05-2023	69 & 70 6-8/ NIL	MGNREGA	Sh. Vyas Dev s/o Mir Chand PO Kilod, Salooni	Sand & Stone Carrige	177575.06	3551.50	do
8	Nil/ 23-05-2023	462, 503 - 505/NIL	MGNREGA	M/S Jitender Kumar & Bro. PO Manjeer Chamba Near Khairi Chamab Road	Steel 8562.40 qtl@80	684992.00	13699.84	GST Act 2017 Section 51 A
					TOTAL	1547409.06	30948.18	

ManjuRala

25

Annexure "6" Reffered in Para No. 8.3 Payment made without Deducted Voids in Stone & Aggrigate In R/O GP Kilod Development Block Salooni Distt. Chamba H.P.

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	Voids 5% & 12.5%	Amount Should be Paid
1	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	26.50	59.36	79500.00	9937.50	69562.50
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022			0.00		0.00	0.00
2	Sh.Daya Ram Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	304.60	682.30	313190.00	39148.75	274041.25
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			0.00		0.00	0.00
3	Sh. Gudo Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	187.64	420.31	250458.00	31307.25	219150.75
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			0.00		0.00	0.00
4	Sh.Mukesh Village Jakhral	MGREGA	NIL/	Stone	33.61	75.29	28482.79	3560.35	24922.44
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			0.00		0.00	0.00
5	Sh.Himto Ram VPO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	19.00	42.56	57000.00	7125.00	49875.00
	Tehsil. Salooni, Chamba		07-11-2023			0.00		0.00	0.00
6	Sh. Bhano Singh	MGREGA	NIL/	Stone	6.00	13.44	18000.00	2250.00	15750.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023					0.00	0.00
7	Sh.Hari Lal s/o Tej Ram	MGREGA	NIL/	Stone	58.00	129.92	174000.00	21750.00	152250.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022					0.00	0.00
8	Sh. Vyas Dev PO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	90.00	201.60	259500.00	32437.50	227062.50
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022					0.00	0.00
9	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/					0.00	0.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Stone	166.50	372.96	252618.00	31577.25	221040.75
				Aggre.	11.12	21.57	27510.00	1375.50	26134.50
				TOTAL	902.97	2019.32	1460258.79	180469.10	1279789.69

Remarks : As per CPWD 2.1.2.13 Percentage of reduction in Volume Computed by stack measurements to arrive at the volume to be paid for

Standrad Size of Aggregate	% of Reduction
1 Stone Aggrigate 75mm & 63 mm	12.50%
2 Aggregate 20mm, 12mm, 10mm & 6mm	5%

Maniya Bala

Pradhan — Secretary
Gram Panchayat Kilod
Dev. Block Salooni Chamba (H.P.)

Reffered in Audit Para 9.3

Annexure "7" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Kilod Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Carrige of Sand		
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Agg. & Cement	107500.00	Plain Paper Along with Receiving (APR)
2	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone &		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	74700.00	do
3	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone	72000.00	do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	118520.00	do
4	Sh.Hari Lal s/o Tej Ram	MGREGA	NIL/	Sand		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Carrige	41312.00	do
5	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone &		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	326210.00	do
6	Sh. Vyas Dev PO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone Collection		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Carrige	259500.00	do
7	Sh. Subhash Vill. Baghota	MGREGA	NIL/	Sand & Tiles		do
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Carrige	70300.00	do
8	Sh. Sheskh Muhamand	MGREGA	NIL/	Sand & Cement		do
	Village Tribhol PO Kilod		23-05-2022	Carrige	68875.00	do
9	M/S Jitender Kumar & Broth	MGREGA	NIL/	Steel		do
	PO Manjeer, Tehsil.Salooni		23-05-2022	8562.40 qtl @80	684992.00	Delivery Challan
10	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	79500.00	Plain Paper Along
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022			with Receiving (APR)
11	Sh.Daya Ram Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	313190.00	do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			do
12	Sh. Gudo Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	250458.00	do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			do
13	Sh.Mukesh Village Jakhral	MGREGA	NIL/	Stone	28482.79	do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			do
14	Sh.Himto Ram VPO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	57000.00	do
	Tehsil. Salooni, Chamba		07-11-2023			do
15	Sh. Bhano Singh	MGREGA	NIL/	Stone	18000.00	do
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023			do
16	M/S Sumitra Devi	MGREGA	343 to 346	NIL/	156800.00	Cash memo/
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023		Performa Bill
17	M/S Sumitra Devi	MGREGA	352 to 361	NIL/	470400.00	do
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023		do
18	M/S Sumitra Devi	MGREGA	362 to 366 & 372 to 376	NIL/	460800.00	do
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023		do
19	M/S Sumitra Devi	MGREGA	367 to 371	NIL/	230400.00	do
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023		do
20	M/S Verma Green Valley	MGREGA	155 to 161	NIL/	313600.00	do
	Nursery, PO Diur, Salooni		04-04-2023	07-11-2023		do
21	M/S Rakesh Kumar Fruit Plant Nursery ,PO Khushnagri Tehsil Churah	MGREGA	2144,2145 & 2003	NIL/	84000.00	do
			08-04-2023	07-11-2023		do
22	M/S Rakesh Kumar Fruit Plant Nursery ,PO Khushnagri Tehsil Churah	MGREGA	2139 to 2143/	NIL/	221400.00	do
			08-04-2023	07-11-2023		
				TOTAL	4507939.79	

Manju Bala

~~25~~ 27

Repeated in Audit Para 9.5

Annexure "8" Payment made without Pass Order and Joint Signature in R/o GP Kilod Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Carrige of Sand	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Agg. & Cement	107500.00
2	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone &	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	74700.00
3	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone	72000.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	118520.00
4	Sh.Hari Lal s/o Tej Ram	MGREGA	NIL/	Sand	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Carrige	41312.00
5	Sh. Subhash Vill. Banjli	MGREGA	NIL/	Sand, Stone &	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Cement Carrige	326210.00
6	Sh. Vyas Dev PO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone Collection	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	& Carrige	259500.00
7	Sh. Subhash Vill. Baghota	MGREGA	NIL/	Sand & Tiles	
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022	Carrige	70300.00
8	Sh. Seskh Muhamand	MGREGA	NIL/	Sand & Cement	
	Village Tribhol PO Kilod		23-05-2022	Carrige	68875.00
9	M/S Jitender Kumar & Brother	MGREGA	NIL/	Steel	
	PO Manjeer, Tehsil.Salooni		23-05-2022	8562.40 qtl @80	684992.00
10	Sh. Yog Raj Vill. Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	79500.00
	Tehsil Salooni, Chamba		23-05-2022		
11	Sh.Daya Ram Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	313190.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023		
12	Sh. Gudo Village Talai	MGREGA	NIL/	Stone	250458.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023		
13	Sh.Mukesh Village Jakhral	MGREGA	NIL/	Stone	28482.79
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023		
14	Sh.Himto Ram VPO Kilod	MGREGA	NIL/	Stone	57000.00
	Tehsil. Salooni, Chamba		07-11-2023		
15	Sh. Bhano Singh	MGREGA	NIL/	Stone	18000.00
	PO Kilod, Tehsil. Salooni		07-11-2023		
16	M/S Sumitra Devi	MGREGA	343 to 346	NIL/	156800.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	
17	M/S Sumitra Devi	MGREGA	352 to 361	NIL/	470400.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	
18	M/S Sumitra Devi	MGREGA	362 to 366 & 372 to 376	NIL/	460800.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	
19	M/S Sumitra Devi	MGREGA	367 to 371	NIL/	230400.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	
20	M/S Verma Green Valley	MGREGA	155 to 161	NIL/	313600.00
	Nursery, PO Diur, Salooni		04-04-2023	07-11-2023	
21	M/S Rakesh Kumar Fruit Plant	MGREGA	2144,2145 &	NIL/	84000.00
	Nursery ,PO Khushnagri Tehsil		08-04-2023	07-11-2023	
22	M/S Rakesh Kumar Fruit Plant	MGREGA	2139 to 2143/	NIL/	221400.00
	Nursery ,PO Khushnagri Tehsil		08-04-2023	07-11-2023	
				TOTAL	4507939.79

Pradhan — Secretary
Gram Panchayat Kilod
Dev. Block Salooni Chamba (H.P)

28

Reflected in Audit Para 9.1

Annexure "9" Apple Plants in R/o GP Kilod Development Block Salooni Distt. Chamba (H.P.)

SR. NO.	DETAIL OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	Bill No. Date	VOUCHER/ DATE	No.of Apple Plants	Rate Charged Per Plant	Approved Rate/plant	Excess Rate/Plan	Total Amount Excess
1	M/S Sumitra Devi	MGREGA	343 to 346	NIL/					
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	448	350.00	150	200.00	89600.00
2	M/S Sumitra Devi	MGREGA	352 to 361	NIL/				0.00	0.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	1350	348.44	150	198.44	267894.00
3	M/S Sumitra Devi	MGREGA	362 to 366 & 372 to 376	NIL/				0.00	0.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	1440	320.00	150	170.00	244800.00
4	M/S Sumitra Devi	MGREGA	367 to 371	NIL/				0.00	0.00
	VPO Kilor, Tehsil Salooni		08-04-2023	07-11-2023	1280	180.00	150	30.00	38400.00
5	M/S Verma Green Valley	MGREGA	155 to 161	NIL/				0.00	0.00
	Nursery, PO Diur, Salooni		04-04-2023	07-11-2023	1120	280.00	150	130.00	145600.00
6	M/S Rakesh Kumar Fruit Plant Nursery ,PO	MGREGA	2144,2145 & 2003	NIL/				0.00	0.00
	Khushnagri Tehsil Churah		08-04-2023	07-11-2023	525	160.00	150	10.00	5250.00
7	M/S Rakesh Kumar Fruit Plant Nursery ,PO	MGREGA	2139 to	NIL/				0.00	0.00
	Khushnagri Tehsil Churah		08-04-2023	07-11-2023	1230	180.00	150	30.00	36900.00
								TOTAL	**828444.00**

Manju Bala

परिशिष्ट "10" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Work Detail of insespect of GP Kilod

S.NO	NAME OF WORK	S/AMOUNT	L/AMOUNT	MATERIAL AMT	M.B.NO	SATATUS
1	1302006221/IF/32231263 (C/o Cattle Shed Of Himmu talai)	100000	30450	NIL	6618/57	COMPLETED
2	/32279746 (C/o Land Development Vipan Kumar R/o Kilod)	80000	20300	NIL	6618/57	DO
3	32279842 (C/o Cattle shed Jagdish Jahkral)	100000	43239	NIL	6618/57	DO
4	32279847 (C/o Cattle shed Kali Jakhral)	100000	34916	NIL	6618/57	DO
5	LD/32089570 (C/o Land development at Dandeta)	300000	17052	NIL	6618/57	DO
6	LD/32089572 (C/o Land development at Jakhral)	300000	59276	NIL	9663/32	DO
7	LD/8000066151 (C/o Land Development Nimad)	300000	133168	NIL	9663/32	DO
8	LD/8000066153 (C/o Land Development Chamdeu)	200000	88102	NIL	16846/15	DO
9	LD/8000066157 (C/o Land Dev. Thasiyunda Gharat)	300000	95207	NIL	6618/58	DO
10	LD/8000066178 (C/o Land Dev Tribhol)	500000	104342	NIL	6396/60	DO
11	LD/8000066184 (C/o Land Development Jajati Kilod)	300000	137837	NIL	9663/32	DO
12	LD/8000066185 (C/o Land Dev Ruwani)	300000	81809	NIL	6618/58	DO
13	LD/8000066191 (C/o Land Dev Ron)	300000	52780	NIL	6618/59	DO
14	LD/8000066798 (C/o Land Dev at Bharoda I)	300000	99876	NIL	16846/15	DO
15	WC/8000044013 (C/o Check dam at Jakhral Nala)	400000	79373	NIL	6396/63	DO
16	WC/8000105528 (C/o Check Dam Banjli Nala)	300000	142100	NIL	16846/15	DO
17	WH/32044809 (C/o Pond at Jakhral)	100000	20503	NIL	6396/43	DO
18	WH/32044824 (C/o Pond at Talai)	100000	32886	NIL	6396/43	DO
19	LD/8000066189 (C/o Land Dev Shali Rakh Kilod)	300000	110432	NIL	9663/36	DO
20	IF/32279742 (C/o Land Development Hans Raj R/o Banjli)	100000	33089	NIL	6618/60	DO
21	IF/32231268 (C/o cattle Shed of Ravi Jakhral)	100000	21924	NIL	6618/57	DO
23	DP/31994492 (C/o Pound at Thati)	100000	NIL	26423.5	2487/88	DO
24	DP/31994493 (C/o Pond at Dibhari)	100000	NIL	23033.7	7182/79	DO
25	FP/31988262 (C/o Drain at vill.Tribhol)	100000	NIL	89810.47	2487/40	DO
26	FP/8000076717 (C/o Crate Work at Thasiyunda)	300000	NIL	23000	7182/71	DO
27	IF/32156015 (C/o Fishery Tank Ram Kishan R/o Thasiyunda)	100000	NIL	1500	7182/71	DO
28	LD/32080406 (C/o Land dev. at Banjali)	300000	NIL	88500	2487/94	DO
29	/LD/32082488 (C/o Land dev. Padi)	300000	NIL	85000	2487/93	DO
30	LD/35025 (C/o Land Dev work at Mandrala)	200000	NIL	86000	2487/92	DO
31	RC/8000076204 (C/o Pacca path with Drain at Gadda)	250000	NIL	42312.17	22881/64	DO
32	RC/8000091714 (C/o Pacca path School to Nagbal)	350000	NIL	2900	23043/29	DO
33	/RC/8000091719 (C/o Pacca path Bishubag)	250000	NIL	64312.17	7182/71	DO
34	RC/8000093633 (C/o Pacca path Tribhol)	200000	NIL	34469.78	7182/71	DO
35	RC/8000097462 (C/o Path with Inter Lock Tiles at Roniyal)	400000	NIL	70300	16814/38	DO
36	8000100176 (C/o Inter locking tiles path at village Thasiyunda)	500000	NIL	103555.41	1782/72	DO
37	RC/8000106983 (C/o Khadunja Path Thasiyunda to Banjali)	300000	NIL	900000	1782/72	DO
38	RC/8000106987 (C/o Khadunja path Thasiyunda to Jakhral)	250000	NIL	75000	1782/73	DO
39	RC/8000109270 (C/o Path With Inter Lock Tiles village Kilod-I)	500000	NIL	198210	1782/71	DO
40	RC/8000109271 (C/o Path With Inter Lock Tiles village Kilod-II)	400000	NIL	107500	1782/74	DO
41	RC/8000109292 (C/o Path With Inter Lock Tile Tribhol)	500000	NIL	15300	6603/74	DO
42	/8000109299 (C/o Pacca path at Chamdeu with Interlock Tiles)	400000	NIL	52700	6603/86	DO
43	RC/8000112682 (C/o Path Dandeta to Jakhral)	300000	NIL	86500	1782/75	DO
44	/8000130210 (C/o Rasta Nirman Bharoda To Bishuwag Nimad)	400000	NIL	2000	16814/77	DO
45	WC/8000044012 (C/o Check Dam at Satsar Nala)	300000	NIL	53000	1782/76	DO
46	WC/8000044014 (C/o Check Dam at Shali Nala)	400000	NIL	79000	23032/83	DO
47	WC/8000044015 (C/o Check Dam Ruwani Nala)	250000	NIL	51500	23032/83	DO
48	WC/8000044016 (C/o Pond at Drbala)	101000	NIL	30720.06	22881/64	DO
49	WC/8000044018 (C/o Check Dam Hadan Nala)	500000	NIL	99000	23032/65	DO
50	RC/8000074218 (C/o Pucci Gali at Ruwani)	250000	NIL	66710	22973/39	DO
51	RC/8000111973 (C/o Foot Bridge over Siyul River)	1000000	NIL	684992	16847/45	DO
52	WC/32019190 (C/o Irri.Tank Pipeline Notod Bagichha)	356000	NIL	26248	6528/74	DO
53	WC/32083867 (C/o Panihara at Kilod)	100000	NIL	11386.4	6609/52	DO
54	IF/1115814 (C/o Land Dev of Bharthu R/o Banjli)	80000	NIL	14625	2207/51	DO
55	IF/32089731 (C/o Land Dev. of Hans Raj R/o Kilod)	50000	NIL	600	18788/73	DO
56	32090945 (C/o Cattle Shed of Majeed R/o Nagbal)	35000	NIL	5475	18788/49	DO
57	IF/32090964 (C/o Land Dev. of Jaram Singh R/o Jakhral)	50000	NIL	5475	18788/52	SATATUS
58	C/o Plantation work at Jakhral	200000	35576	156800	22881/81	DO
59	C/o Plantation work at Thasiyunda	300000	53548	235200	22881/84	DO
60	C/o Plantation work at Bharoda	400000	52720	313600	22881/86	DO
61	C/o Plantation work at Nimad	300000	59608	235200	22881/87	DO
62	C/o Plantation work at Banjwad	300000	59058	235200	22881/91	DO
63	C/o Plantation work at Talai	300000	62276	230400	22881/93	DO
64	C/o Plantation work at Banjali	300000	50356	221400	22881/96	DO
65	C/o Plantation work at Tribhol	300000	34980	230400	22881/97	DO
66	C/o Land Dev. With Plantation Gulam Rasul Ron	50000	18528	28000	22881/89	DO
67	C/o Land Dev. At Jakhral	300000	209496	88485	9663/32	DO
68	C/o Land dev. Shali Rakh Kilod	300000	208075	59000	9663/37	DO

manoj Balar